प्रेष विज्ञप्ति

ई.एस.आई.सी. द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना नगर निगम के सफ़ाई वाहन चालक एवं ईएसआईसी के बीमित कामगार स्व जालेन्द्र कुमार की कार्य पर आने के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. पटना नगर निगम के दुर्घटना प्रतिवेदन के आधार पर मामले को रोज़गार चोट के रूप में स्वीकृत किया गया. दिनांक 02.03.2023 को पटना नगर आयुक्त अनिमेश पराशर एवं ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार द्वारा संयुक्त रूप से उनकी पत्नी एवं बच्चों को पेंशन प्रमाण पत्र सौंपा। दिवंगत कर्मी की पत्नी एवं उनके तीन छोटे बच्चों को ईएसआईसी की तरफ़ से आजीवन लगभग 12 हज़ार प्रतिमाह (कर्मी के वेतन का 90%) पेंशन के रूप मिलता रहेगा | स्व जालेन्द्र कुमार की नियुक्ति फ़रवरी 2020 में हुई थी तथा उनका मासिक वेतन 13,000 रूपये था | इसके अलावे मृत्यु की तिथि से अबतक क़रीब 2 लाख रुपये पेंशन बकाये राशि भी उन्हें प्रदान किए गये |

इस अवसर पर पटना नगर आयुक्त ने ईएसआईसी की इस सामाजिक सुरक्षा योजना को अभूतपूर्व बताया और काफ़ी सराहना की. दिवंगत श्रमिक के पत्नी ने स्वयं एवं बच्चों को 12 हज़ार की राशि प्रतिमाह मिलना पर्याप्त बताया और बच्चों कि अच्छी शिक्षा एवं पालन पोषण कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ईएसआईसी का आभार जताया।

क्षेत्रीय निदेशक